महत्वपूर्ण

संख्याः1826 / 78–2–2016–146आई0टी0 / 2016

प्रेषक,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग–2 लखनऊः दिनॉक : 30 सितम्बर 2016

विषयः प्रदेश में दसवीं पास, 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क स्मार्ट फोन प्रदान किये जाने की योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे जन–सामान्य तक पहुँचाने तथा अधिक से अधिक शासकीय (G2C) और व्यावसायिक (B2C) सेवाओं को नागरिकों तक सरलता एवं सुगमता से पहुँचाने हेतु शासन द्वारा प्रदेश के दसवीं पास, 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क स्मार्ट फोन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस योजना अन्तर्गत निःशुल्क स्मार्ट फोन प्राप्त करने के लिए पात्रता के निम्नवत् मानक निर्धारित किए गए हैं :–

- आवेदक / लाभार्थी उत्तर प्रदेश का नागरिक हो।
- 1 जनवरी 2017 को उसकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो।
- आवेदक हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हो।
- आवेदक अथवा उसके अभिभावक श्रेणी–1 अथवा श्रेणी–2 के शासकीय अधिकारी न हो ।
- पारिवारिक वार्षिक आय रू 6.00 लाख से कम हो।

3– योजना के अन्तर्गत निःशुल्क स्मार्ट फोन का वितरण योजना के ऑन लाइन आरंभ होने की तिथि से एक माह के अन्दर पंजीयन कार्य पूर्ण किये जाने पर किया जायेगा। लाभार्थियों का चयन, ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से किया जायेगा। लाभार्थियों के चयन व स्मार्ट फोन वितरण की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

- आवेदन की सरल प्रक्रिया की दृष्टि से लाभार्थियों का चयन, ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से किया जायेगा
- ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया एक माह के अन्दर प्रारम्भ हो जायेगी।
- आवेदन के समय हाई–स्कूल प्रमाण–पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करना होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।